

राजस्थान-सरकार
कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सीकर

क्रमांक:- 136-170/कृ0भू0रू0/राजस्व/2017

दिनांक:-17.3.207

संपरिवर्तन आदेश

आर्य शिक्षा निकेतन समिति दौलतपुरा जिला सीकर जरिये मंत्री रघुनाथ सिंह रणवा के आवेदन पत्र पर आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राज0 भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिये एतद् द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है :-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	आर्य शिक्षा निकेतन समिति दौलतपुरा जिला सीकर जरिये मंत्री रघुनाथ सिंह रणवा पुत्र लादूराम निवासी ग्राम भुवाला जिला सीकर ।
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।	नहीं
3.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा	
	(क) ग्राम/ग्रामपंचायत तहसील का नाम	ग्राम दौलतपुरा ग्राम पंचायत दौलतपुरा तहसील सीकर
	(ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	खसरा न. 1286/333 रकबा 0.17 है. एवं 1287/333 रकबा 0.17 है. कुल 0.34 है.
	(ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर में)	0.34 हेक्टेयर अर्थात 3400 वर्गमीटर
	टिप्पणी:- (अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।)	संलग्न है
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक प्रयोजनार्थ (शैक्षणिक कार्य)
5.	संदेय प्रीमियम की दर	5 रु. प्रति वर्ग मीटर
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गई प्रीमियम की राशि	ईग्रास चालान संख्या 316 दिनांक 16.03.2017 के द्वारा राशि 17000/- जमादि. 16.03.2017
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो की जमा कराई गई राशि	-
8.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	-
9.	क्या आदेश नियमितकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है?	-
10.	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	इण्डियन रोड कांग्रेस में निर्धारित रोड़ बारुण्डी छोड़ते हुये



- (1) संपरिवर्तित भूमि का उपयोग ऊपर वर्णित अकृषिक प्रयोजन से भिन्न अकृषिक प्रयोजन हेतु बिना प्राधिकृति अधिकारी की पूर्वानुमति के नहीं किया जा सकेगा।
- (2) यदि आवेदक संपरिवर्तित भूमि का उपयोग जिस प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन आदेश जारी किया गया है, 05 साल की अवधि में करने में विफल रहता है तो अनुमति निरस्त करते हुये जमा प्रीमियम की राशि की समायोजित करली जावेगी।
- (3) संपरिवर्तन नियम 2007 के नियम (4) में उल्लिखित भूमि का उपयोग किसी अकृषिक प्रयोजनार्थ नहीं किया जा सकेगा।
- (4) संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का उपयोग बिना प्राधिकृत अधिकारी की विधिक अनुमति के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं लिया जा सकेगा।
- (5) इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि छोड़ते हुए संपरिवर्तन की कार्यवाही की जा सकेगी तथा आवेदक द्वारा आवेदित भूमि तक निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप पहुंच मार्ग सुनिश्चित किया जायेगा।

—

(शीराज अली जैदी)
प्राधिकृत अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, सीकर

क्रमांक:- 136-140/सम
प्रतिलिपि:-

दिनांक:- 17.3.17

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, सीकर।
2. तहसीलदार सीकर।
3. टी.आर.ए. तहसील सीकर।
4. ग्राम पंचायत दौलतपुरा।
5. पटवारी पटवार हल्का, दौलतपुरा।
6. आर्य शिक्षा निकेतन समिति दौलतपुरा जिला सीकर जरिये मंत्री रघुनाथ सिंह रणवा निवासी भुवाला, सीकर।
7. कार्यालय प्रति।



—
प्राधिकृत अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, सीकर
सीकर